निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या 63/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रतना रावत पुत्री श्री जी.एल. रावत जाति महाजन निवासी 41 रावत पैलेस, गंगापोल गेट के बाहर, बांसबदनपुरा, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री चिमन लाल मीणा आर.ए.एस.पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

2 श्री गोविन्द सिंह पुत्र सवाई सिंह

3 श्रीमती शारदा पत्नी सवाई सिंह

निवासी मकान नं॰ 21 संजय नगर बी, श्याम मन्दिर के पीछे, पण्डित जी की थडी, कालवाड रोड, जयपुर ।

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 186/2019 ब उनवानी रतना रावत बनाम गोविन्द सिंह को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.02.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 185/2019 ब उनवानी रतना रावत बनाम गोविन्द सिंह दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पिछले सात वर्षो से लम्बित है। कई बार मौका रिपोर्ट आ चुकी है तथा कई मर्तबा विविध प्रार्थना पत्र पेश हो चुके है और कई तारीखों से पत्रावली बहस में चल रही है। दिनांक 31.03.2023 को पीठासीन अधिकारी ने अन्तिम बहस सुन ली थी, इसके बावजूद भी कोई निर्णय पारित नहीं किया है। पीठासीन अधिकारी से पूछा जाता है

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

तो स्पष्ट कहते है कि मुझ पर अप्रार्थीगण की तरफ से राजनैतिक दबाव है इसलिए मै आपके पक्ष में फैसला नहीं करूंगा। पीठासीन अधिकारी से कई बार निर्णय सुनाये जाने का निवेदन किया गया, परन्तु वह पत्रावली को अपने व्यक्तिगत पजेशन मे लेकर बैठे है, कोई निर्णय नहीं सुनाते। ट्रान्सफर प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कार्यालय एवं तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी से नकल मांगी गई तो नकल उपलब्ध नहीं कराई गई और कहा गया कि आर्डरशीट नहीं लिखी हुई है। इसलिए नकल दिया जाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी न तो आर्डर शीट लिख रहे है और ना ही नकल उपलब्ध करा रहे है तथा स्पष्ट मत व्यक्त कर चुके है कि वह प्रार्थिया के पक्ष में निर्णय नही देंगे। ऐसी स्थिति में उक्त पीठासीन अधिकारी से पत्रावली का निस्तारण करवाया जाना न्याय की मंशा के विपरीत होगा तथा तीन माह से निर्णय पारित नहीं किया गया। प्रार्थिया को यह भी आशंका है कि पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाव के चलते बैक डेट में निर्णय पारित कर सकते है। इसलिए पत्रावली को तुरन्त अन्य सक्षम न्यायालय मे ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में बनावटी व असत्य कथन अंकित किये गये है। पत्रावली अन्तिम बहस में नियत है। यदि प्रार्थी के कथनानुसार उक्त वाद का स्थानान्तरण कर दिया जाता है तो जबाब दाता अप्रार्थीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। साथ ही अप्रार्थीगण सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जावेंगे। पक्षकारों को अनावश्यक खर्च भी वहन करना पड़ेगा जो कानून प्रकिया के दुरूपयोग किये जाने के समान है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। यद्यपि पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 185/2019 ब उनवानी रतना रावत बनाम गोविन्द सिंह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर को स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक **26.02.2024** को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जा कर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

10. निर्णय की प्रति इस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ व उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)